COVID-19
URGENT

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा), बाड़मेर

क्रमांक : प.35( )( ) आ.प्र. एवं सहा./ COVID-19/2019/1728   दिनांक : 11/04/2020

आदेश

कोविड–19 के संक्रमण के दौरान लॉक डाउन घोषित किये जाने उपरांत निजी/सरकारी एम्बुलेंस वाहन के चालकों द्वारा बाहरी राज्यों/जिलों के बाड़मेर जिले में निवासरत निजी अस्पतालों से मरीज रैफर की अनुमति/पर्ची प्राप्त कर यात्रियों को परिवहन कर, इस सेवा का दुरूपयोग किया जा रहा है, ऐसा किया जाना मेरे ध्यान में लाया गया है। इस संबंध में निम्न एडवायजरी जारी की जाती है :–

01. बाड़मेर जिले के निजी अस्पतालों से जिले से बाहर रैफर किये जाने मरीजों को ले जाने हेतु निजी एम्बुलेंस के लिये पीएमओ बाड़मेर/बालोतरा या अन्य स्थानों के लिए नजदीकी राजकीय चिकित्सालय के एम.ओ. का प्रमाणन आवश्यक है।

02. बाड़मेर जिले में स्थापित विभिन्न चैक पोस्टो पर नियुक्ति प्रभारियों एवं पुलिसकर्मी को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बाड़मेर/बालोतरा या राजकीय चिकित्सक के प्रमाणन की जांच करे ।

03. बाहरी जिले से आने वाली निजी एम्बुलेंस को भी जिले में प्रवेश से पूर्व उनको भी समुचित रूप से निरीक्षण करे एवं ध्यान दिया जावे कि कहीं उसमें मरीजों के बहाने यात्रियों को तो परिवहन नही किया जा रहा है एवं इनका समुचित रेकर्ड रखा जाना सुनिश्चित करे ।

उक्त निर्देशों की सख्ती से पालना करना सुनिश्चित करे ।

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर,
आ.प्र.सहा. एवं ना.सु., बाड़मेर

COVID-19
URGENT

क्रमांक : प. 35( )( ) आ.प्र. एवं सहा./COVID-19/2019/1729-45 दिनांक : 11/04/2020

प्रतिलिपि – निम्नाकिंत को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् बाड़मेर
3. नॉडल अधिकारी, सहायक निदेशक, लोक सेवाऐं, बाड़मेर
4. उपखण्ड अधिकारी (समस्त)
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर
6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बाड़मेर/बालोतरा
7. उप पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर/बालोतरा/गुड़ामालानी/चौहटन
8. तहसीलदार (समस्त)
9. जिला परिवहन अधिकारी बाड़मेर /बालोतरा
10. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क एवं सूचना, बाड़मेर
11. सोशल मीडिया प्रभारी
12. प्रभारी, कंट्रोल रूम, जिला कार्यालय, बाड़मेर को भेजकर लेख है कि संबंधित को सूचित करना सुनिश्चित करावें।

जिला कलक्टर,
आ.प्र.सहा. एवं ना.सु., बाड़मेर